— :: कार्यालय कलेक्टर,(आदिवासी विकास शाखा) बालोद (छ.ग.) :: —

फैक्स नं. 07749.223915, ई—मेल — actwd.balod@Gmail.com

क्र0/ 190 /पो.मै.छा./2023—24/ बालोद,दिनांक 17/05/2023

प्रेस विज्ञाप्ति

" अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) वर्ष 2022—23 के विद्यार्थियों का संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन की सुविधा पोर्टल पर प्रदाय की सूचना"

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) का पंजीयन/स्वीकृति एवं भुगतान विभागीय पोर्टल https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ के माध्यम से किया जा रहा है। वर्ष 2022—23 में ऐसे विद्यार्थी जो **संस्था परिवर्तन, पाठ्यक्रम परिवर्तन तथा संस्था एवं पाठ्यक्रम दोनों परिवर्तन** करना चाहते है, भारत सरकार के नियमानुसार पात्रता रखने वाले ऐसे विद्यार्थियों को पोर्टल पर सुविधा (Option) दी गई है। **विभाग द्वारा दिनांक 25.05.2023 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।**

अतः संबंधित विद्यार्थी कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बालोद, रुम नंबर 75 कलेक्ट्रेट बालोद (छात्रवृत्ति शाखा) में **दिनांक 25.05.2023 तक** आवेदन कर सकते है।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद

पृ.क्र0/ 190 /पो.मै.छा./2023—24/ बालोद दिनांक 17/05/2023

प्रतिलिपि :—

01— आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर की ओर दिनांक 17.05.2023 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02— कलेक्टर, जिला बालोद की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03— उप संचालक, जन संपर्क, बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपरोक्त प्रेस—विज्ञप्ति को जिला स्तरीय बहु प्रसारित समाचार पत्रों (जिनकी पहुंच ग्रामीण अंचलों तक हो) में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास बालोद

Letter 004